Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 4 ~ Issue 11 (2016) pp: 157-160
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

सम्प्रभुता
(SOVEREIGNTY)

डॉ0 राधिका देवी
विभागाध्यक्ष(राजनीति विज्ञान)
ए0के0पी0(पी0जी0) कॉलिज, खुर्जा
जिला–बुलन्दषहर (उ0प्र0)

''एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या सम्बन्ध होता है, यह तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक् करता है तथा जिसे हम सम्प्रभुता कहते हैं।''[1] **–गैटिल**

जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और सम्प्रभुता–राज्य के इन तत्वों में सम्प्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक् किया जा सकता है। राज्य के लिए सम्प्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। वस्तुतः सम्प्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

समप्रभुता का अर्थ

सम्प्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची **'सावरेनटी'**(Sovereignty) लैटिन शब्द **'सुपर'**(Super) और 'एनस'(Anus) से लिया गया है, जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च होता है। शब्द की व्युत्पत्ति द्वारा स्पष्ट सम्प्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान समय में भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का स्पष्ट अर्थ होते हुए भी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने सम्प्रभुता के सम्बन्ध में विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं और **ब्राइस के** शब्दों में कहा जा सकता है कि ''सम्प्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है।''सम्प्रभुता के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये प्रमुख विचार निम्न प्रकार हैं:–

सम्प्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या **जीन बोदां**(Jean Bodin) के द्वारा की गयी जिनके अनुसार, ''सम्प्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो।''[2]

ग्रोशियस(Grotious) ने लगभग अर्द्ध–शताब्दी बाद कहा कि ''सम्प्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हों और जिसकी आज्ञा को उल्लंघन न किया जा सकता हो।''[3]

डिग्विट(Dugvit) के अनुसार, ''सम्प्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है, राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है, यह वह अविष्कार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों की असीमित आदेश दिये जा सकते हैं।''[4]

बर्गेस(Burgess) के अनुसार, ''यह व्यक्तिगत रूप से प्रजानन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है।''[5]

विलोवी(Willoughby) के अनुसार, ''सम्प्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है।''[6]

यद्यपि इन परिभाषाओं में भिन्न–भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, तथापि इन सभी विद्वानों का आशय यही है कि सम्प्रभुता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से है, लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि सम्प्रभुता के दो पक्ष होते हैं– आन्तरिक सम्प्रभुता एवं बाहरी सम्प्रभुता। सम्प्रभुता के इन दो पक्षों में से उपर्युक्त परिभाषाओं में सम्प्रभुता के केवल एक पक्ष–आन्तरिक सम्प्रभुता–को ही व्यक्त किया गया है। सम्प्रभुता के इन दोनों पक्षों की विवेचना निम्न प्रकार है :

आन्तरिक सम्प्रभुता–आन्तरिक सम्प्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथ शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है। व्यक्ति अथवा समुदायों द्वारा इन आज्ञाओं के विरूद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। डॉ. **गार्नर** के शब्दों में कहा

जा सकता है कि ''सम्प्रभुता राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अर्न्तगत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं।''

बाहरी सम्प्रभुता– बाहरी सम्प्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण से स्वतन्त्र होता है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होती हैं कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे सम्बन्ध स्थापित करें। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता, इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। **लास्की** ने सम्प्रभुता के इस बाहरी पक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ''आधुनिक राज्य प्रभुत्वसम्पत्र राज्य होता है। अतः वह अन्य राज्य के सम्बन्धों के विषय में स्वतन्त्र होता है। वह उसके सम्बन्ध में अपनी इच्छा की किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है।''[7]

सम्प्रभुता के इन दोनों पक्षों की दृष्टि में रखते हुए सम्प्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती हैं कि ''सम्प्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।''

सम्प्रभुता के लक्षण

सम्प्रभुता की उपर्युक्त धारणा के आधार पर सम्प्रभुता के प्रमुख रूप से निम्नलिखित लक्षण बताये जा सकते हैं :

●निरंकुशता(Abdoluteness)– सम्प्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है और जैसा कि सम्प्रभुता के इस अर्थ से ही स्पष्ट है, यह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष एवं निरंकुश होती है। सम्प्रभुता आन्तरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश सर्वोच्च होती है। आन्तरिक क्षेत्र में सम्प्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियन्त्रण रखती हैं; शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में पूर्णतया स्वतन्त्र होता है। वैधानिक दृष्टि से आन्तरिक एवं बाहरी क्षेत्र में राज्य की सम्प्रभुता पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता है। ऑस्टिन के शब्दों में कहा जा सकता है कि ''सम्प्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है; किन्तु स्वयं किसी के आदेश पालन का अभ्यस्त नहीं होता।''

●मौलिकता(Originality)–मौलिकता का अर्थ है कि राज्य की सम्प्रभुता मौलिक है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं। यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि सम्प्रभुता प्रदत्त हो सकती है तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता राज्य तथा सम्प्रभुता से भी ऊपर रहेगी और अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छानुसार वापस लिया जा सकेगा। सम्प्रभुता की परिभाषा के अनुसार सम्प्रभुता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व असम्भव है।

●सर्वव्यापकता(All Comprehensiveness)–सम्प्रभुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य है कि राज्य के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियन्त्रण रहता है और इनमें से कोई भी सम्प्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यदि राज्य के अन्तर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो इन विशेषाधिकारियों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है।

सर्वव्यापकता का केवल एक अपवाद कहा जा सकता है और वह है **'राज्येतर सम्प्रभुता का सिद्धान्त'(Principal of Extra-terriorial Sovereignty)** इस सिद्धान्त के अनुसार एक देश के अन्तर्गत स्थित राजदूतावास उस देश की सम्पत्ति समझा जाता है जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है और दूतावास के क्षेत्र में उसी देश के कानून लागू होते हैं, जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह सिद्धान्त सम्प्रभुता की सर्वव्यापकता पर नियन्त्रण नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टता और सौजन्यता के आधार पर एक राज्य का दूसरे राज्य को दिया गया विशेष सम्मान है। यदि कोई राज्य अपनी सम्प्रभुता का प्रयोग करते हुए इन विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं को वापस लेना चाहे, तो ले सकता है।

●स्थायित्व(Permanency)–अनेक चार सम्प्रभुता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझना भ्रमपूर्ण है। वस्तुतः सम्प्रभुता स्थायी होती है और सम्प्रभुता का अन्त करना राज्य को ही समाप्त करना है। ब्रिटिश संविधान में ''राजा मृत है, राजा चिरायु हो''(King is dead, long live the king) की जो कहावत प्रचलित है वह सरकार और सम्प्रभुता के भेद को स्पष्ट करते हुए यही बताती है कि सम्पुभता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। न केवल सरकारों के परिवर्तन बल्कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने से भी सम्प्रभुता नष्ट नहीं होती, बल्कि विजेता राज्य की प्रभुत्व शक्ति विजेता राज्य के हाथों में चली जाती है। गार्नर ने कहा है कि ''स्थायित्व से आशय यह है कि जब तक राज्य कायम रहता है तब तक सम्प्रभुता कायम रहती है। प्रभुत्वधारी की मृत्यु अथवा अल्पकालीन पदच्युति तथा राज्य के पुनः संगठन के कारण सम्प्रभुता का नाश नहीं होता।''

●अपृथक्करणीयता(Inalienability)–सम्प्रभुता राजा से अपृथक्करणीय होती है अर्थात् राज्य स्वयं को नष्ट किये बिना सम्प्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। सम्प्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। प्रायः ऐसा भ्रम हो सकता है कि किसी राज्य के एक खण्ड के पृथक् होने से अथवा उसका कोई एक भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिये जाने पर उस खण्ड अथवा भाग से सम्बन्धित सम्प्रभुता उस राज्य से पृथक् हो जाती है, किन्तु वास्तव में इससे सम्प्रभुता राज्य से पृथक् नहीं होती, बल्कि सम्प्रभुता का हस्तान्तरण मात्र होता है। **गार्नर** ने कहा है कि ''सम्प्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्ति अदेय है

और वह किसी दूसरे को दे नहीं सकता, उसी प्रकार राज्य की सम्प्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। यही बात **लाइवर**(Lieber) ने सुन्दर ढ़ग से इस प्रकार व्यक्त की है, ''जिस प्रकार निज का नष्ट किये बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फलने–फूलने के स्वभाव को पृथक् नहीं कर सकता, उसी प्रकार सम्प्रभुता को राज्य से पृथक् नहीं किया जा सकता है।''[8] ''रूस का कथन है कि ''सम्प्रभुता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका कभी विच्छेद नहीं किया जा सकता.....शक्ति हस्तान्तरित की जा सकती है, पर इच्छा नहीं।''

●**अनन्यता(Exclusiveness)**–इसका अर्थ यह है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभुशक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा–पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अन्दर एक से अधिक प्रभुशक्तियों का अस्तित्व मान लेना' **'राज्य के भीतर राज्य'** की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना है।

●**अविभाज्यता(Indivisibility)**–सम्प्रभुता का एक अन्य प्रमुख लक्षण उसकी अविभाज्यता है। सम्प्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। इस सम्बन्ध में **कालहन** ने लिखा है कि ''सम्प्रभुता एक पूर्ण वस्तु है, जिस प्रकार हम एक अर्द्ध–वर्ग अथवा एक अर्द्ध–त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई सम्प्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।''[9] रूसो ने ठीक ही कहा है कि **''प्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है।''**इसी प्रकार गैटिल ने कहा है कि **''विभाजित प्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है।''** सम्प्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वश्रेष्ठ सत्ता और एक ही समय पर एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएँ निवास नहीं कर सकतीं।

सम्प्रभुता की अविभाज्यता के विचार से अनेक विचारक सहमत नहीं है। बहुलवादी सम्प्रभुता को राज्य और अन्य समुदायों में विभाजित मानते हैं। इसके अतिरिक्त, लावेल, ब्राइस, फ्रीमैन, आदि लेखकों का विचार है कि संघ राज्यों में सम्प्रभुता विभाजित होती है। अंग्रेज इतिहासकार **फ्रीमैन** तो यहाँ तक कहता है कि **''संघात्मक आदर्श की पूर्णता के लिए प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण विभाजन अनिवार्य है।''**[10] लेकिन लावेल, ब्राइस, फ्रीमैन, आदि विद्वानों का दृष्टिकोण सही नहीं है और इन विद्वानों द्वारा शासन एवं प्रभुत्व शक्ति को एक ही समझ लेने के कारण इस प्रकार की बात कही गयी है। संघ राज्य में सम्प्रभुता अविभाज्य ही होती है। यह सम्प्रभुता संविधान में निहित होती है और व्यवहार में इसका प्रयोग संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति करती है। **गैटिल** ने ठीक ही कहा है, **''संघीय शासन प्रणाली में सम्प्रभुता का विभाजन नहीं होता, जो कि समस्त राज्य में निहित होती है, परन्तु इसकी अनेक शक्तियों का विभाजन होता है, जो कि वैधानिक रीति से शासन के विविध अंगों में विभक्त होती है।''**[11]

सम्प्रभुता के विविध रूप

'सम्प्रभुता'शब्द को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में भ्रम दूर करने के लिए सम्प्रुभता के कुछ प्रचलित रूपों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है :

●**औपचारिक तथा वास्तविक सम्प्रभुता(Nominal and Real Sovereignty)** औपचारिक या नाममात्र की सम्प्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है, जिसके पास सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्पूर्ण शक्ति निहित हो, किन्तु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके, व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति ही करें। इंग्लैण्ड का सम्राट इस प्रकार के औपचारिक सम्प्रभु का आदर्श उदाहरण है। सैद्धान्तिक दृष्टि से इंग्लैण्ड में सम्राट ही सम्प्रभु है किन्तु वास्तविक सम्प्रभु पार्लियामेण्ट और मन्त्रिमण्डल है जो व्यवहार में सम्राट की सम्प्रभुता का उपयोग करता है। इसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति को औपचारिक सम्प्रभु और संसद एवं मन्त्रिमण्डल को वास्तविक सम्प्रभु कहा जा सकता है। औपचारिक तथा वास्तविक सम्प्रभुता का यह भेद संसदात्मक–व्यवस्था में ही देखा जा सकता है।

● **वैज्ञानिक तथा राजनीतिक सम्प्रभुता(Legal and Political Sovereignty)** एक राज्य के अन्तर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक सम्प्रभु कहा जाता है। यह वह सम्प्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता और यह धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धान्तों और जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सकती है।**गार्न** के अनुसार ''वैद्य प्रभुत्व वह निश्चित सता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से पूरा कर सके, वह सत्ता जो दैवी कानून नैतिक सिद्धान्तों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके।'' इसी प्रकार डायसी ने लिखा है कि ''वैध सम्प्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती है।'' इंग्लैण्ड में संसद सहित सम्राट (King in Parliament) को इस प्रकार एक वैधानिक सम्प्रभु कहा जा सकता है। डायसी इंग्लैण्ड के इस वैधानिक सम्प्रभु के सम्बन्ध में लिखते हैं कि ''संसद कानून की दृष्टि से इतनी सर्वशक्ति–सम्पत्र है कि एक बच्चे की पूरी उम्र का, मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की राजद्रोही या अवैध सन्तान को वैध घोषित कर सकती है अथवा उचित समझे तो किसी व्यक्ति को स्वयं से सम्बन्धित तमामले में ही न्यायाधीश बना सकती है।''[12]

कानूनी सम्प्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएँ बतायी जा सकती हैं :–

- यह निश्चित होती है और न्यायालय इसे स्वीकार करता है।
- यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है।
- यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है।
- वैधानिक दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल वही कर सकती है।

- व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी सम्प्रभुता से ही प्राप्त होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस सम्प्रभुता के विरूद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।
- यह असीमित और सर्वोच्च होती है।

राजनीतिक सम्प्रभुता

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय शासन–व्यवस्था वाले देशों में तो वैधानिक सम्प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता में कोई अन्तर नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार का प्रतिनिध्यिात्मक प्रजातन्त्र वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में प्रचलित है, उसके अन्तर्गत वैधानिक सम्प्रभु और राजनीतिक सम्प्रभु अलग–अलग इकाइयाँ होती हैं। वैधानिक दृष्टि से तो इंग्लैण्ड में पार्लियामेण्ट सम्प्रभु हैं, किन्तु वास्तविक रूप में पार्लियामेण्ट की सत्ता पर अनेक प्रतिबन्ध हैं। पार्लियामेण्ट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरूद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता पार्लियामेण्ट के सदस्यों को निर्वाचित करती और उन पर नियन्त्रण रखती है। वैधानिक सम्प्रभु की सत्ता पर नियन्त्रण रखने वाली इस शक्ति को ही राजनीतिक सम्प्रभु कहा जाता है। **डायसी** के शब्दों में, ''जिस सम्प्रभु को वकील लोग मानते हैं, उनके पीछे एक दूसरा सम्प्रभु रहता है। इस सम्प्रभु के सामने वैधानिक सम्प्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी इच्छा को अन्तिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक सम्प्रभु हैं।[13] गार्नर ने भी कहा है कि ''वैध सम्प्रभुता के पीछे एक दूसरी सम्प्रभुता भी है जो वैध रूप से अज्ञात एवं असंगठित है और जिसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह राज्य की इच्छा को वैध आदेश के रूप में व्यक्त कर सकें, परन्तु फिर भी जो ऐसी सत्ता हैं जिसके सम्मुख सम्प्रभुता को नतमस्तक होना पड़ता है और वह है राजनीतिक सम्प्रभुता।'' **कार्लायल** के शब्दों में पार्लियामेण्ट को इस राजनीतिक सम्प्रभु के प्रति यह कहना होता है कि **''मैं उनका नेता हूँ और मुझे उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।''**[14]

लेकिन यह राजनीतिक सम्प्रभुता कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती। यह तो असंगठित और अनिश्चित होती है। संकीर्ण दृष्टिकोण से एक देश के निर्वाचकों की राजनीतिक सम्प्रभु कहा जा सकता हैं क्योंकि वे ही वैधानिक सम्प्रभु का निर्णय करते हैं, लेकिन दलीय राजनीति, लोकमत और प्रचार के साधनों का भी वैधानिक सम्प्रभु पर नियन्त्रण रहता है। इसलिए गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि **''राजनीतिक सम्प्रभु एक राज्य के अन्तर्गत उन सभी प्रभावों का योग होता है, जो कानूनी सम्प्रभु के पीछे निहित रहते हैं।''**[15]

संदर्भ सूची :–

1- "The relation of state to state, of a state to its citizens, of one-citizen to another can be understood only after a further discussion of the characterstic which distinguished the state from all other organizations, its sovereignty." *-Gettell, Political Science, P. 121*

2- "Sovereignty is the supreme power of the state, over citizens and subjects unrestrained by Law." *- Jean Bodin*

3- "Sovereignty is the supreme power vested in him, whose acts are not subject to any other and whose will cannot be over-ridden." *-Grotious*

4- "Sovereignty is the commanding power of the state, it is the will of the nations organized in the state. Is the right to give unconditional orders to all individual in the territory of the state." *-Dugvit*

5- "Sovereignty is the original absolute and unlimited power-over the individual subjects and over all associations of subjects." *-Burgess*

6- "Sovereignty is the supreme will of the state." *-Willoughy*

7- "The modern state is a sovereign state It is, therefore, independent in the face of other communities It may infuse its will towards them with substance which need not be affected by the will of anu external power." *-H. Laski.*

8- "Sovereignty can no more be alienated than a tree can alienate its right to sprout or man can transfer his life and personality wijthout self-destruction." *– Leiber, Political Ethics, Vol. 1. P.219.*

9- "Sovereignty is an entire thing. To divide is to destroy it. It is the supreme power of the state and we might just as well speak of half a square or half a triangle, as half a sovereignty." *- Calhoun's Works, Vol. I. p. 146.*

10- "The complete division of Sovereignty we may look upon as essential to the absolute perfection of the federal ideas." *-Freeman*

11- Gettell Potlitical Science. P. 125.

12- Dicey, The Law of the Constitution, p. 66.

13- "Behind the sovereign, which the lawyer recognises there is and the sovereign to whom the legal sovereign must bow." - Dicey

14- "I am their leader and I must follow them". -Carlyle

15- "The sum total of influence in a state, which lie behind the law." *-Gilchrist, The Principle of Political Science, p. 24.*

*Corresponding Author: डॉ0 राधिका देवी